

उत्तराखण्ड कैबिनेट ने 'UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट' को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद, उत्तराखण्ड ने स्वतंत्रता के बाद [समान नागरिकी संहिता \(UCC\)](#) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दशा में एक और बड़ा कदम है।

मुख्य बंदि:

- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को वधिनसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि **70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ दल के पास 47 सीटें** हैं, जससे UCC वदियक पास होने की संभावना अधकल हो जाती है।
- समान नागरिकी संहतल** कानूनों का एक समूह है जो सभी धर्मों और जनजातयों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा ववलह, तलाक, वरलसत एवं उत्तराधकलर समेत वभलनलन मुददों को नयलतरतल करेगा।
- भारत के संवधलन के अनुसार UCC [राज्य के नीतलनलदलशक सदलधांतों](#) का एक हसलसा है।
- वर्ष 2011 की राष्टरीय जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में **13.9% मुसलमल आबालदी** है, जसके अधकलंश लोग तराई कषेतर में रहते हैं।

समान नागरिकी संहतल

- समान नागरिकी संहतल पूरे देश के लयल एक समान कानून के साथ ही सभी धारमकल समुदलयों के लयल** ववलह, तलाक, वरलसत, गूद लेने आदल कानूनों में भी एकरूपता परदान करने का परावधान करती है।
- संवधलन के **अनुच्छेद 44** में वर्णतल है कल राज्य भारत के पूरे कषेतर में नागरकलों के लयल एक **समान नागरिकी संहतल** सुनशलचतल करने का परयास करेगा।
 - अनुच्छेद-44, संवधलन में वर्णतल [राज्य के नीतलनलदलशक तत्त्वों में से एक है](#)।
 - अनुच्छेद 44 का उददेश्य संवधलन की परस्तावना में नहलतल "धर्मनरलपेकष लोकतांत्रकल गणराज्य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।